291

संख्या– /XV-2/01(09)/2014

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–02 देहरादूनः दिनांक 13 जनवरी, 2016ः

विषय– वित्तीय वर्ष 2015–16 में (एस0सी0एस0पी0) दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उप निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1024–25/लेखा–प्रस्ताव दु0मू0प्रो0यो0 पत्रा0/2015–16, दिनांक 05 जनवरी, 2016 के संदर्भ में, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश संख्या–**1379/ XXVII (1)/2015,** दिनांक 27 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश दिनांक 17 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में डेरी विकास विभाग को दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 43.27 लाख (रूपये तितालिस लाख सत्ताइस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. योजनान्तर्गत **Market Anlysis** व स्वतंत्र फीड बैक करते हुए मूल प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान वितरण के फलस्वरूप अन्ततः उपभोक्ताओं को दूध किस दर पर मिल रहा है तथा गैर सहकारी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय हो रहा दूध (पैकेज्ड दूध) किस दर पर बाजार में थोक/फुटकर में उपलब्ध है? यह सूचनाएं शीघ्र एकत्र कर विश्लेषण सहित शासन को प्रेषित की जाय।
2. अवमुक्त की जा रही धनराशि की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा।
3. विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि दुग्ध उत्पादन हेतु प्रोत्साहन की धनराशि दुग्ध सहकारी समितियों के केवल अनुसूचित जाति के दुग्ध उत्पादकों को ही आवंटित करेगा तथा लाभान्वितों की सूची समाज कल्याण विभाग को भी उपलब्ध करायें।
4. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार आहरण किया जाय।
5. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों एवं शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों के अन्तर्गत ही किया जाय।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।
7. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

8. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
9. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
10. अवमुक्त की जा रही धनराशि हेतु वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभार्थियों की सूची सहित शासन एवं समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करायी जाय।
11. बिन्दु संख्या–01 संबंधी सूचना शासन को तत्काल प्रेषित की जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–04–दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 एवं शासनादेश संख्या–**1336/XXVII(1)/2015,** दिनांक 17 नवम्बर, 2015 एवं शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर, 2015 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या– 37 (1)/XV-2/2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, दुग्ध को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
5. वित्त अनुभाग–4,/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव।